

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/11/98

क्रमांक एफ. 19.12/98/मेडि-एम/17 :: खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का संख्याक-27) को धारा 16-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते तथा अधिसूचना क्रमांक 3369-सत्रह-चिकित्सा चार-तारीख 11 अक्टूबर, 1977 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा,

1. समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
2. समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, वर्ग-एक

को उक्त अधिनियम को धारा - 16 को उपधारा (1) के अधीन राज्य में समस्त अपराधों का संक्षिप्त तौर पर विचारण करने के लिये सशक्त करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

ओदशानुसार

उप सचिव



**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH**  
**PUBLIC HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT**  
**MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN**  
NOTIFICATION

Bhopal, Dated 30/11/98

No. F. 19-12/98/M-1/17. :: In exercise of the Powers conferred by Section 16-A of Prevention of Food Adultration Act] 1954 (No. 27 of 1954), and in supersession of notification no. 3369-XVII-Med. IV dated 11th October 1977 the State Government hereby empowers:-

1. All Chief Judicial Magistrates,
2. All Additional Chief Judicial Magistrates, and
3. All Judicial Magistrates of the First Class.

to try all offences under sub-section (1) of Section 16 of the said Act, in summary way, in the State.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh  
Sd/-  
Deputy Secretary